उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-06/2016/224/62-2-2016-2/4(26)/2012
लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी,2016

विज्ञप्ति/पदोन्नति/तैनाती

चयन समिति द्वारा नियमित चयनोपरांत अधीक्षण अभियंता, लघु सिचाई के पद पर वेतन बैंड-4, वेतनमान रू0-37400-6700, ग्रेड वेतन रू0-8700/- में पदोन्नति हेतु संस्तुत निम्नलिखित अधिशासी अभियंताओं को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	नाम
1-	श्री योगेश चन्द्र सारस्वत
2-	श्री फिरतू राम
3-	श्री बृजभान सिंह
4-	श्री शिवशरण सिंह
5-	श्री राजीव कुमार जैन

2- श्री बृजभान सिंह पूर्व की भांति अधीक्षण अभियंता, लधु सिंचाई वृत्त, इलाहाबाद के पद एवं दायित्वों का निर्वहन अतिरिक्त रूप से, नियमित तैनाती होने अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, करते रहेंगे।

3- उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में लम्बित रिट याचिका सं0-985(एस0बी0)/2013, गोविन्द चन्द्र गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगे।

भरत लाल राय,
सचिव।

सं0-06/2016/224(1)/62-2-2016,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
5- संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड, उ0 प्र0।
6- संबंधित अधिकारी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in